सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2012-13

DoIT
Department of Information Technology & Communication

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2.	प्रशासनिक तंत्र	4
3.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धियाँ	6
	(I) नीतिगत निर्णय	6
	(ii) राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं –	6
	(iii) राज्य आयोजना मद से वित्त पोषित चालू परियोजनाएं	10
	(iv) राज्य आयोजना मद से वित्त पोषित नवीन/अभिनव परियोजनाएं	12
	(v) वर्ष 2012–13 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदत्त प्रमुख परियोजनाएं	17
	(vi) भावी परियोजनाएं	18
4.	वर्ष 2012–13 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा माह दिसम्बर 2013 तक की प्रगति	19
5	बजट भाषण वर्ष 2012–13 की नवीन योजनाओं का विवरण	25

1.

प्रस्तावना

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय के नाम से एक शीर्षस्थ संस्था स्थापित की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया ।

इसी दिशा में वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प स्वतन्त्र रूप से या आपसी समन्वय से राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का नाम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैंण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं को प्रेरित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़िकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापन

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सुकर बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेन्सियों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनावर्या पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्चपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आबंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

2.

प्रशासनिक तंत्र

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

DECEMBER 2012

DoIT&C Head

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद (कार्यरत)	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	0	1
2.	अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव	2	2	0
3.	विशेषाधिकारी (टेलीकॉम)	1	0	1
4.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)'	7	6	1
5.	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)	22	18	4
6.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
8.	प्रोग्रामर	30	19	11
9.	सहायक प्रोग्रामर	22	18	4
10.	सूचना सहायक	16	16	0
11.	लेखाकार	1	1	0
12.	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	0
13.	निजी सचिव	1	1	0
14.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	0
15.	निजी सहायक	1	1	0
16.	कार्यालय सहायक	2	2	0
17.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
18.	वरिष्ठ लिपिक	4	4	0
19.	कनिष्ठ लिपिक	6	4	2
20.	वाहन चालक	2	1	1
21.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / साईकिल सवार	11	8	3
	कुल	135	107	28

नोटः– 1. श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, सहायक अभियन्ता (NREGS) [Against the vacant post of ACP (Dy. Director)]

2. श्री जितेन्द्र प्रसाद, उप पंजीयक, सहकारिता विभाग वर्तमान पदस्थापन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय पर एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद के विरूद्ध पदस्थापित को दिनांक 23.1.2013 को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

3. सहायक प्रोग्रामर के पद विरूद्ध 7 सूचना सहायक पदस्थापित है।

(अ) आदेशों की प्रतिक्षा में:–

1. श्री हरि मोहन गुप्ता, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) 2. श्री चन्द्र मोहन पाण्डे, प्रोग्रामर

(ब) श्री अखिलेश तिवाडी, प्रोग्रामर एवं श्री राकेश कुमार मीणा, सूचना सहायक स्वेच्छा से विभाग से अनुपस्थित चल रहे है जिसके विरूद्ध जांच चल रही है।

(स) श्री मनीष दर, सूचना सहायक जो कि निलम्बित चल रहे थे को, विभाग के आदेश क्रमांक प.2(485) सू.प्रौ./संस्था/01/291 दिनांक 09.1.2013 के द्वारा बहाल किया गया है।

जिला कलक्टर कार्यालय

District Head

31 December 2012

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद (कार्यरत)	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	14	19
2.	प्रोग्रामर	33	16	17
3.	सहायक प्रोग्रामर	33	28	5
4.	लेखाकार	33	*	33

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद के विरूद्ध 2 सूचना सहायक पदस्थापित है।
2. प्रोग्रामर के पदों के विरूद्ध 1 सहायक प्रोग्रामर एवं 2 सूचना सहायक पदस्थापित है।
3. सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 19 सूचना सहायक पदस्थापित है।

* सभी 33 जिलों में स्थापित ई–गर्वनेन्स सैल में लेखाकार के रिक्त पदों पर अतिरिक्त कार्यभार के आदेश निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किये गये है। जिनमें से 15 जिलों में लेखाकारों द्वारा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया गया है।

यू. आई. डी. प्रोजेक्ट

U.I.D. Head

3454-02-203-(01)-[01]-[03]

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद (कार्यरत)	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	ओ.एस.डी.	1	1	0
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	0
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	0	1
4.	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
5.	सीनियर प्रोजेक्ट आसिफर	2	2	0
6.	प्रोजेक्ट आफिसर	2	0	2
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	0	2
	कुल	10	5	5

3.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

1. नीतिगत निर्णय

- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा क्षेत्र के उद्योगों को राज्य के दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने के उद्देश्य से निजी व्यवसाईयों को राज्य में बी.पी.ओ केन्द्र एवं के.पी.ओ. केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये एक योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत सरकार विभिन्न वित्तीय लाभ जैसे – आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये 20 लाख रूपये तक की पूंजी लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना के प्रशिक्षण के परिचालन लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जायेगा परंतु यह लागत बी.पी.ओ. केन्द्र के लिये रूपये दस हज़ार प्रति प्रशिक्षु से अधिक नहीं होगी एवं के.पी.ओ. केन्द्र के लिये रूपये बारह हज़ार पांच सौ से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में कार्यरत बी.पी.ओ/के.पी.ओ. केन्द्रों के अग्रिम विकास के लिये भी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अनुदान किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं प्रबोधन हेतु प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें वित्त एवं उद्योग विभाग के सदस्य शामिल हैं।

2. राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं–

- **राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर** – भारत सरकार से एनईजीपी के अंतर्गत स्वीकृत राशि रूपये 30.00 करोड़ से नये आईटी भवन में नये स्टेट डाटा सेंटर का दिनांक 15.12.2010 को उद्घाटन किया गया था। 43 रैक की क्षमता वाले इस डेटा सेन्टर की सैन (SAN) क्षमता 45 टी.बी. (टैराबाईट) है। स्टेट डेटा सेन्टर के उपयोग हेतु विभाग द्वारा दिशा–निर्देश तैयार कर समस्त विभागों को प्रेषित कर दिये गये हैं। सेंटर पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क की 1 जी.बी. लिंक कनेक्टिविटी 01.05.2012 से उपलब्ध करवा दी गई है।
- राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क – राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए संचार तंत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना प्रस्तावित है।

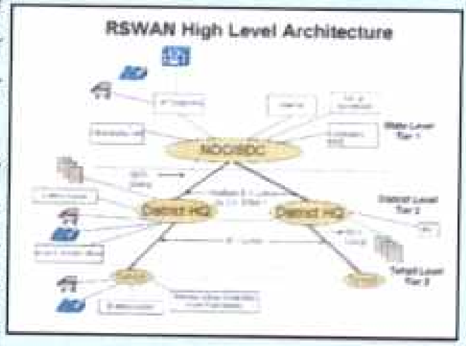

उक्त योजना हेतु वित्तीय संसाधन का प्रमुख हिस्सा भारत सरकार से एनईजीपी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधित किया गया है। शेष भाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जावेगा।

उक्त परियोजना के अंतर्गत 32 जिला मुख्यालयों एवं 273 तहसील /ब्लाक मुख्यालयों को राज्य मुख्यालय से वर्टिकल एवं इन समस्त स्थानों पर स्थित 3381 विभिन्न सरकारी कार्यालयो को होरीज़ोन्टल रूप से जोड़ा जावेगा। नेटवर्क द्वारा डाटा, वाईस एवं विडियो संचार सुविधा उपलब्ध होगी।

इस परियोजना हेतु माह अप्रैल 2011 में भारती एयरटेल को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। मार्च 2013 में परियोजना का क्रियान्वयन कर दिया जायेगा।

- नागरिक सेवा केन्द्र (सीएससी) (http://cscmis.emitra.gov.in)– ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागो एवं निजी क्षेत्र की सूचनाऐं तथा सेवायें सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की एनइजीपी के तहत सीएससी परियोजना लागू की गई। परियोजना के तहत राज्य में 6626 सीएससी केन्द्र स्थापित किये जाने हैं जिसमें से आदिनांक तक 5396 केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये है।

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, अजमेर सी.एस.सी. दौरे पर

यह कार्य मै. सी.एम.एस. एवं मै. जूम लि. को खुली निविदाओ के माध्यम से आवंटित किया गया था। मै. सी.एम.एस. द्वारा अजमेर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर संभाग में क्रियान्वित किया जा रहा है। बीकानेर, भरतपुर एवं जोधपुर संभाग में मैसर्स जूम डवलपर्स द्वारा सही कार्य निष्पादन नहीं करने के कारण कार्यादेश निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह कार्य जिला ई–मित्र सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तथा नये सेवा प्रदाता/निजी सहभागी के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर बिड वैल्यू अधिक होने के कारण भारत सरकार से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। सी.एस.सी परियोजना के वी.एल.ई. स्तर पर क्रियान्वयन के प्रबोधन हेतु एक विस्तृत वेब आधारित एप्लीकेशन www.cscmis.emitra.gov.in विकसित की गई है। सी.एस.सी./ई–मित्र पोर्टल केन्द्रों पर लगभग 19 लाख ट्रांज़ेक्शन प्रति माह होते हैं।

- **ई–डिस्ट्रिक्ट** – राष्ट्रीय प्रशासन योजना के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाले नागरिक सेवाओं का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता के तहत प्रथम चरण में अजमेर एवं जोधपुर जिले में इसका क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष मैसर्स एच.पी.इण्डिया को कार्यादेश जारी किया गया है। परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रूपये 642.41 लाख स्वीकृत की गई है। पायलेट जिले जोधपुर और अजमेर में माह अक्टूबर और जनवरी मे कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है तथा साइट सर्वे का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। मार्च 2013 के अंत तक परियोजना को क्रियाशील कर दिया जायेगा।

- **स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे**– राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के केन्द्रिय पोर्टल के अनुरूप राज्य पोर्टल की स्थापना का भी प्रावधान है।

इस वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स विप्रो को सेवा प्रदाता (System Integrator) नियुक्त किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (अनुसूचित जाति / जन जाति / पिछडा वर्ग), उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग एवं जयपुर कलेक्ट्रेट का चयन किया गया है।

परियोजना के तहत नागरिको को उपरोक्त विभागों की 42 सेवायें सीएससी एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इस योजना में "Rajasthan Public Service Delivery Gurantee Act 2011" के अंतर्गत ली गयी सेवायें भी शामिल की जा रही है। इसके साथ ही बजट घोषणा वर्ष 2011–12 की अनुपालना में विभिन्न जन–सेवायें, जैसे जाति व मूल निवास प्रमाण–पत्र, जन्म–मृत्यु पंजीकरण, लोक सेवा आयोग के आवेदन व प्रवेश पत्र प्राप्त करने, नगर निकायों तथा अन्य संस्थाओं के भुगतान इत्यादि की सुविधायें नागरिकों को सुगमता से SSDG परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जायेगी। यह परियोजना मार्च 2013 के अंत तक आरंभ की जायेगी।

- **मानव संसाधन विकास**
  - **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण**– ई–गवर्नेन्स को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। वर्ष 2010 अक्टूबर में राज्य सेवा के सात अधिकारियों को TAPMI, मनिपाल में सरकारी खर्चे पर एक वर्षीय e-GPX कार्यक्रम के लिये भेजा गया था। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कई नए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है जैसे कि e-Government project life Cycle, Change Management, Networking आदि। इस वर्ष राज्य सेवा के 10 अधिकारियों का IIM, Indore में एक वर्षीय CPEG कार्यक्रम पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये :–

क्षमता निर्माण हेतु सीएसआई-निहिलेंट पुरस्कार प्राप्त करते अतिरिक्त निदेशक श्री ए. एम. देशपाण्डे

S.N.	Name of Training Program	Duration	Participants
1	Training on Dot Net	25th April to 26th July, 2011 (90 hours)	15
2	Training on Dot Net (90 hours)	16th August to 23rd September 2011 (90 hours)	15
3	Project Management	23rd - 27th January, 2012	25
4	e-Governance Project Lifecycle	06th – 10th February 2012	25
5	**Orientation training program for SeMT consultants**		
	Bangalore	23-27 May,2011	3
	Ahemdabad	26-30 Sept 2011	2
	Hyderabad	21- 25 Feb 2012	2
6	e-Governance Training at Bangalore	3rd – 5th December 2011	40
7	Information Security Management & Enterprise Application	16-18 April 2011	23

S.N	Name of Training Program	Duration	Participants
1	Website Development	6th – 21st April 2011	25
2	National Convention on Good Governance and National Development at Managment Development Academy	9th-10th September 2011	10
3	Induction trainings at HCM RIPA		65

- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमुनसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है। वर्ष 2012–13 में 20 राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्भरण किया गया है।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण

के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। वर्ष 2012–13 में **7000** राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

3 राज्य आयोजना मद से वित्त पोषित चालू परियोजनाएं

- **आरोग्य ऑन लाइन**– सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर की पूर्ण कम्प्यूटरीकरण परियोजना वर्तमान में जारी है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में इमरजेंसी, आउट पेशेंट पंजीयन, बिलिंग, जांच (सेंट्रल लैब), इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट, पूछताछ तथा फार्मेसी एवं दवा विभाग को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इस परियोजना को शीघ्र ही सभी 15 जिला अस्पतालों तथा 6 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों में लागू किया जावेगा। वर्तमान में 13 जिला अस्पताल मुख्यतः गंगानगर, जयपुर, अलवर, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, सीकर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, धौलपुर एवं बांरा जिले में कार्य आरंभ कर दिया गया है। साथ ही जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पतालों हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रमुख शासन सचिव श्री श्रीमत पाण्डे आरोग्य ऑनलाइन हेतु डॉ. जी. एन. सक्सेना को सम्मानित करते हुए।

- **सैकलैन का विस्तार**– राज्य सचिवालय में स्थापित सैकलैन का विस्तार करते हुए विगत दो वर्षों में पशु धन भवन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भवन, स्वायत्त शासन भवन, निधी भवन, एस.एम.एस. अस्पताल, श्रम भवन, राज्य भण्डारण निगम भवन, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान पुलिस अकादमी को जोडा गया जिससे जयपुर मेट्रोपोलिटन एरिया नैटवर्क से जुडे भवनों की संख्या 44 हो गई है। इस नेटवर्क का विस्तार करके समस्त जिला कलेक्टर को वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा दी गई है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत NOFN हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के अवसर पर बोलते हुए।

- **स्टेट डेटा सेन्टर**– वर्ष 2005 से संचालित स्टेट डेटा सेन्टर में स्थापित उपकरणों यथा सर्वर एवं स्टोरेज (SAN) की कार्यक्षमता बढाने हेतु पूर्व में स्थापित 42 सर्वर में मेमोरी (RAM) को पूर्व में उपलब्ध 2 से 8 जीबी से अधिकतम सीमा (8 से 32 जीबी) तक बढा

दिया गया है जिससे विभिन्न वेब साइट की कार्य क्षमता में सुधार हुआ है। SAN में 16 सर्वर को जोडने की क्षमता को बढा कर 32 सर्वर जोडने हेतु उच्च क्षमता वाला SAN Switch लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च क्षमता वाले 14 नये सर्वर एवं 80 टी.बी. (टेराबाईट) भण्डारण क्षमता वाले SAN मय आवश्यक सॉफ्टवेयर के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं जिनके शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है। नये सर्वर के स्थापित होने के पश्चात डाटा सेन्टर में नवीनतम वर्जन के सॉफ्टवेयर के कलस्टर उपलब्ध हो जायेंगें जिससे विभिन्न विभागों की कई नयी वेब साइट्स को कार्यरत करने की सुविधा हो जायेगी। वर्तमान में स्टेट डेटा सेन्टर में 138 वेब साईट्स एवं एप्लीकेशन्स 66 सर्वर पर कार्यरत है। राज्य का ई–मेल सिस्टम भी स्टेट डाटा सेन्टर में ही सफलता पूर्वक कार्यरत है। इनके अतिरिक्त वाणिज्य कर विभाग में संचालित केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर हेतु आवश्यक उपकरण (सर्वर, स्टोरेज एवं नेटवर्क संबंधी उपकरण इत्यादि) भी स्टेट डेटा सेन्टर में सफलता पूर्वक कार्यरत है।

- **RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग)** – आयोग की कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के अन्तर्गत आयोग की मूल गतिविधियाँ यथा राज्य सेवा एवं अधिन्स्थ राज्य सेवा भर्ती की प्रक्रिया तथा समस्त कार्यालय कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

सीएससी एवं आरपीएससी हेतु ई-इण्डिया पुरस्कार प्राप्त दल के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ

कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के दौरान आवेदन प्रपत्र जारी करने से लेकर पूर्ण किये गये आवेदन पत्र प्राप्त करना, आवश्यक योग्यतानुसार आवेदन पत्रों की छटनी करना, योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिये परीक्षा करवाने से लेकर परीणाम घोषित करने तक सभी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। कम्प्यूटरीकरण से समय और लागत की बचत होती है, आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी इन्टरनेट के जरिये आवेदन कर सकता है, आयोग के कार्य में पारदर्शिता संभंव हो पाई है। जहां एक ओर आयोग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का कार्य सरल हो गया है वहीं दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आयी है।

इसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के समस्त आवेदन पत्र सी.एस.सी. एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा अब तक लगभग 30 लाख आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन जमा कराये जा चुके है।

वर्तमान में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं हेतु ऑन लाइन पंजीयन एवं कियोस्क के माध्यम से शु:ल्क भरण की प्रक्रिया भी उपलब्ध करवायी जा रही है। शुल्क भरण की प्रक्रिया हेतु बैंक भुगतान गेटवे से भी परियोजना का एकीकरण किया जायेगा।

- **e-Secretariat** - प्रथम चरण में सचिवालय में टचस्क्रीन कियोस्क स्थापित किये गये है। साथ ही फाईल ट्रेकिंग एवं मोनिटरिंग सिस्टम को सचिवालय स्थित 15 विभागो में क्रियान्वित कर दिया गया है। आगामी चरणों के कार्य हेतु परियोजना का क्रियान्वयन NIC के माध्यम से करवाया जा रहा है जिस हेतु एन.आई.सी. से एमओयू हो गया है। साथ ही सचिवालय स्थित कॉन्फरेन्स रूम एवं कमेटी रूम में प्लास्मा डिस्प्ले लगा दिये गये है।

मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा ई-ऑफिस का शुभारम्भ

- **e-Procurement-** राजकीय विभागों / स्वायत्तशासी निकायों / राज्याधीन निकायों से विभिन्न सामग्रियों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने एवं समयबद्धता से काम करने के उद्देश्य से, रूपये 50 लाख से अधिक की निविदाओं के लिए इस परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये इस सीमा को कम कर रूपये 25.00 लाख कर दिया गया है। ई–प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन (eproc.rajasthan.gov.in) को राजस्थान के 63 विभागों में क्रियान्वित कर दिया गया है। अब तक लगभग 28750 करोड़ लागत की 7416+ निविदायें इस तंत्र के माध्यम से आमंत्रित की गई है। इस पोर्टल के लिये 2250 सरकारी कर्मचारियों एवं 1000 फर्मों के निविदा दाताओं को प्रशिक्षण दे दिया गया है।

4. राज्य आयोजना मद से वित्त पोषित नवीन / अभिनव परियोजनाऐं

- **सुगम (पी.जी.पोर्टल)**– एन.आई.सी. के सहयोग से सुगम जन सेवा प्रदाता परियोजना क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत जन–अभियोग प्रबोधन एवं निराकरण के लिए वेब आधारित सोफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु एवं सूचना के अधिकार संबंधित जानकारी और जन–अभियोग हेतु सहायता पटल के लिए राज्य स्तरीय कॉल सैन्टर तैयार किया गया है जहाँ दूरभाष पर नागरिक सेवा प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा **http://sugamrpg. raj.nic.in** तथा दूरभाष नं. 0141–2227549 पर उपलब्ध है।

सुगम पी जी पोर्टल

अब तक प्राप्त 144252 शिकायतों में से 107620 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

- **सुगम (एकल खिड़की)** – जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों के गत वर्ष आयोजित सम्मेलन में की गई मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष उपखण्ड स्तर तक कम्प्यूट्रीकृत एकल खिड़की व्यवस्था लागू की गई। सभी जिला कलेक्ट्रैट एवं तहसील मुख्यालयों पर यह सुविधा आरंभ की गई एवं विभिन्न सेवाऐं नागरिकों को सुगमता से निश्चित समय सीमा में उपलब्ध हो रही है। दिनांक 31.12.2012 तक प्राप्त 4263603 शिकायतों में से 4046577 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र** – सम्पूर्ण राज्य में घर बैठे ही इन्टरनेट के माध्यम से/एकल खिड़की/कियोस्क के माध्यम से वैधिक मान्यता प्राप्त डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाने कि प्रणाली की भी शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जयपुर से किये गये आवेदन के आधार पर जोधपुर से उनका डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः मूल निवास, जाति, आय तथा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं।

माननीय मंत्री श्री वीरेन्द्र बेनीवाल डिजिटली हस्ताक्षरित जमाबन्दी प्रदान करते हुए।

प्रतिमाह लगभग 1.5 लाख डिजिटल प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं।

अन्य सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र, अनुज्ञप्ति इत्यादि भी डिजिटली हस्ताक्षरित रूप से उपलब्ध करवाये जायेगें। इस प्रकार के प्रमाण–पत्र लेने हेतु नागरिकों को ऑन लाईन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

- **"राजस्थान लोक सेवाओं की अदायगी एवं सुनवाई के गारंटी अधिनियम–2011" के लिए आर.जी.डी.पी.एस. वेब–पोर्टल** – राज्य की जनता को निश्चित् समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने, सुनवाई करने तथा उससे संसक्त तथा अनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए राजस्थान राज्य में दिनांक 14 नवम्बर 2011 से प्रभावी 'राजस्थान लोक सेवाओं की अदायगी एवं सुनवाई के गारंटी अधिनियम–2011' को अत्याधुनिक सूचना–प्रौद्योगिकी सम्बल प्रदान करने के लिए एक वेब–पोर्टल विकसित किया गया है।

आरजीडीपीएस वेब पोर्टल को मूल रूप से 'जी2सी' एवं 'जी2जी' श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिये विकसित किया गया है। अधिनियम के अधीन 15 विभागों की समस्त 124 सेवाओं के लिये, राज्य की जनता द्वारा आवेदन किये जाने पर, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक

छपी हुई अभिस्वीकृति/एक्नॉलेजमैन्ट आवेदक को दिये जाने का प्रावधान है जिसमें सेवा प्रदायगी की तयशुदा समय सीमा का उल्लेख भी स्वयमेव ही होगा, जो कि इस बात का प्रमाण है कि आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है और आवेदक तयशुदा समय सेवा में सेवा प्राप्ति का अधिकारी है। पदाभिहित अधिकारी पोर्टल के माध्यम से, स्वचालित रूप से आवेदनों को प्राप्त/निष्पादित/ निरस्त कर सकता है। आरजीडीएस वेब पोर्टल पर एक बार आवेदन की प्रविष्टि हो जाने के उपरान्त, सेवा की प्रदायगी/आवेदन के निस्तारण तक की समयबद्ध प्रक्रिया की मॉनिटरिंग विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा सहजता से की जा सकती है।

इस अधिनियम के तहत आने वाले समस्त 15 विभागों के नोडल अधिकारी एवं आईटी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान में यह एम.आई.एस.पोर्टल, अधिनियम के अधीन समस्त 15 विभागों में परीक्षणाधीन है जिनमें से 6 विभागों ने उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

- बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली – राजस्थान सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू करने का कार्य प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त के क्रम में नवम्बर 2011 में प्रारम्भ में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मे पायलेट क्रियान्वयन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मे सफल पायलेट क्रियान्वयन के अनुसार 16 जनवरी 2012 से शासन सचिवालय में लागू किया गया। वर्तमान में शासन सचिवालय में 18 टच स्क्रीन मशीनों की निम्नानुसार स्थापना कर दी गई है:–

क्रम संख्या	बिल्डिंग/ब्लॉक का नाम	मशीनों की संख्या
1.	मुख्य भवन	13
2.	फूड बिल्डिंग	1
3.	एस.एस.ओ. बिल्डिंग	2
4.	मंत्रालय भवन	1
5.	पंचायती राज भवन	1

वर्तमान में समस्त अधिकारियों के फिंगर प्रिन्ट लिये जा चुके है। 1 अप्रेल 2012 से सम्पूर्ण सचिवालय में इसे लागू कर दिया गया।

UID (आधार) – भारत सरकार की 'आधार' नामक परियोजना के अतंर्गत समस्त नागरिकों को एक बारह अंक का नम्बर दिया जायेगा जो कि उनकी पहचान संख्या कहलायेगा। इसका उपयोग कर देश के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त लाभ एवं परिलाभ तथा सेवायें बेहतर उपलब्ध करायी जा सकेगी। आधार परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का राज्य पंजीयक है।

AADHAAR

इस परियोजना हेतु राज्य सरकार एवं यूनिक आइडेंटिफिकेशन आथोरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 28 मई, 2010 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। राज्य में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से समस्त राज्य के निवासियों का पंजीयन किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

प्रथम चरण : मई 2011 से मार्च 2012 – 81.77 लाख नागरिकों को आधार के लिए नामांकित किया गया

द्वितीय चरण : जून 2012 से जारी है एवं इसमें 62.70 लाख नागरिकों को अभी तक नामांकित किया जा चुका है। राज्य में मार्च 2013 तक 2.5 करोड़ लोगों को आधार के लिए पंजीकृत करने का लक्ष्य है।

जिलेवार नामांकन स्थिति

नं.	जिला	नामांकन	नं.	जिला	नामांकन
1.	अजमेर	887142	18.	जैसलमेर	7297
2.	अलवर	859939	19.	जालोर	386007
3.	बांसवाड़ा	125030	20.	झालावार	151639
4.	बारां	265574	21.	झुन्झुनूं	816238
5.	बाड़मेर	730818	22.	जोधपुर	492560
6.	भरतपुर	161528	23.	करौली	35788
7.	भीलवाड़ा	272051	24.	कोटा	809641
8.	बीकानेर	646851	25.	नागौर	633215
9.	बूंदी	250136	26.	पाली	414891
10.	चित्तौड़गढ़	231556	27.	प्रतापगढ़	41720
11.	चुरू	350758	28.	राजसमंद	362205
12.	दौसा	530370	29.	सवाई माधोपुर	204026
13.	धौलपुर	34157	30.	सीकर	658906
14.	डूंगरपुर	64710	31.	सिरोही	309694
15.	गंगानगर	281261	32.	टोंक	301307
16.	हनुमानगढ़	169177	33.	उदयपुर	1043546
17.	जयपुर	2112606		कुल	14642344

आधार समर्थित सेवाओं का आरम्भ : आधार समर्थित सेवाओं का राष्ट्रव्यापी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20.10.2012 को आधार प्रोजेक्ट की द्वितीय वर्षगांठ पर दूदू तहसील में किया गया। आधार संख्या नागरिकों की प्रमाणिकता ऑनलाईन जाँचना, विभिन्न योजनाओं के पायलेट प्रोजेक्ट के तहत माइक्रो ए.टी.एम द्वारा अपने बायोमेट्रिक द्वारा आधार समर्थित खाते से लेन देन का प्रदर्शन भी किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं माननीया यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी आधार समर्थित योजनाओं का शुभारम्भ करते हुए

1. **नकद हस्तांतरण योजना :–**

- आम लोगों का पैसा सीधे आम जन तक पहुंचे इसके मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी अथवा अन्य सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जिसके तहत 1 जनवरी 2013 से 43 ज़िलों में चयनित योजनाओं के लाभार्थियों को सीधा नकद हस्तांतरण किया गया। राज्य के 3 ज़िलों अजमेर, अलवर व उदयपुर को भी इसमें शामिल किया गया है तथा 1 अप्रैल 2013 से सभी ज़िलों में नकद हस्तांतरण योजना का विस्तार किया जाएगा।
- अलवर ज़िले में 14 एवं अजमेर व उदयपुर में 8 चयनित योजनाओं के लाभार्थियों के लिए नकद हस्तांतरण 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन 21004 लाभार्थियों को 5.09 करोड़ रुपये नकद हस्तांतरित किये गए हैं।

2. **राज्य द्वारा आधार समर्थित सेवाओं के लिए पहल :**

- राज्य सरकार ने आधार समर्थित सेवा प्रदायता के लिए नीतिगत पहल शुरू कर दी है जिसमें वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन, नरेगा जोबकार्ड, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पानी–बिजली के कनेक्शन, सम्पत्ति पंजीकरण, भू–अभिलेख नामांतरकरण एवं नकल, इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज विभाग की व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं, छात्रवृत्ति एवं शस्त्र लाइसेंस आदि 10 सेवाओं के आवेदन के समय आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या को अनिवार्य किया जाने का निर्णय लिया गया है।
- आधार समर्थित सेवाओं का चरण बद्ध रूप में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण 5 ज़िलों की 14 तहसीलों में 1 फरवरी 2013 से लागू किया जाएगा।
- आधार की द्वितीय वर्षगांठ पर दूदू में माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनहित से जुड़ी कल्याणकारी याजनाओं को आधार नामांकन से जोड़ने का निर्णय लिया गया था।
- 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना आदि को आधार से जोड़ा जा रहा है। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए आधार नामांकन संख्या/आधार संख्या अनिवार्य होगी।

❖❖❖

वर्ष 2012-13 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय/ तकनीकी सहायता प्रदत्त प्रमुख योजनायें :-

कम संख्या	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	बैकएण्ड बजट द्वारा वर्ष 2012–13 में वित्तीय प्रावधान
1	आर्म्स लाईसेन्स मनेजमेन्ट सिस्टम जिला गंगानगर में पायलेट प्रोजेक्ट	60.00 लाख	30.00 लाख
2	राज्य के 8 केन्द्रिय कारागारों के स्थापित कम्प्यूटरीकरण कार्य को आगे बढ़ाने, राज्य को 25 जिला कारागारों, एक जे.टी.आई. एवं 2 महिला कारागारों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के लिये आई.टी इनेबलमैन्ट ऑफ प्रिजन (जेल) परियोजना	722.00 लाख	87.36 लाख
3	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कम्प्यूटरीकरण	1301.00 लाख	11.12 लाख
4	SIPF portal application & NSDL integration and converting SIPF portal application to 64 bit	39.96 लाख	39.96 लाख
5	ऑन लाईन मेनेजमेन्ट सिस्टम, खान एवं भू–विज्ञान विभाग	332.60 लाख	23.60 लाख
6	रोज़गार विभाग के मुख्यालय, 7 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 41 रोज़गार कार्यालयों में रोज़गार कार्यालय प्रबंधन तंत्र (Employment Exchange Management System)	9.39 करोड़	9.13 लाख
7	श्रम विभाग के 1 मुख्य कार्यालय, एवं 34 जिला कार्यालयों में श्रम कार्यालय प्रबंधन तंत्र (Labour Department Management System)	496.00 लाख	11.12 लाख
8	Citizen Contact Centre	500.00 लाख	10.00 लाख
9	Laptop for Probationer Officer at HCM RIPA	87.33 लाख	87.33 लाख

भावी परियोजनाएं-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत
1	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए "राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रबन्धन तंत्र" का वेब बेस कम्प्यूटरीकरण	1084.11 लाख
2	पुलिस विभाग के लिए अपराधी और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क तंत्र के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	25.00 लाख
3	कृषि विपणन बोर्ड के लिए "राजस्थान एकीकृत मण्डी प्रबन्ध तंत्र" का कम्प्यूटरीकरण	2883.00 लाख (प्रथम चरण हेतु रू 673.00 लाख)
4	राजस्थान राज्य सामरिक सांख्यिकीय योजना (RSSSP)	2427.00 लाख
5	जलभृत मानचित्र और गांव वार भूजल क्षमता और विकास के लिए रणनीति के मूल्यांकन के लिए जीआईएस आधारित डेटाबेस का विकास	390.00 लाख
6	IT enableement of Anti Corruption Bureau	331.77 लाख
7	SSB Information Management System for State Special Branch of Police Department	131.00 लाख
8	Core banking solution for Rajasthan State Cooperative Bank and all District Central Cooperative banks	98.40 करोड़
9	Computerization of Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS)	108.73 करोड़
10	Procurement of Laptops for School Education Department	254.00 करोड़
11	ग्राम पंचायतों के लिये हार्डवेयर का क्रय	2481.01 लाख
12	Setting up of PMU for e-Nagar Mitra project	3.99 करोड़
13	Computerization of 28 Blood banks across Rajasthan	140.72 लाख
14	Setting up of e-Classroom at 6 medical Colleges & RUHS in Rajasthan	433.31 लाख

4.

वर्ष 2012-13 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा माह दिसम्बर 2012 तक की प्रगति

(Rs. in Lakhs)

लेखा शीर्षक	वर्ष 2012–13 में आबंटन			व्यय 31.12.2012 तक
	मूल आबंटन आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल	
3454-02-(203) (01) [01] Hd.Qtr.				
01 संवेतन	221.30		221.30	135.10
03–यात्रा व्यय	0.08		0.08	0.08
04–चिकित्सा व्यय	0.25		0.25	0.14
06 वाहन क्रय	0.01		0.01	
05–कार्यालय व्यय	1.26		1.26	1.22
12–सहायतार्थ अनुदान	0.01		0.01	
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	4.00		4.00	
29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	117.00		117.00	48.08
38–वाहनों का किराया	3.60		3.60	1.04
41–संविदा व्यय *	0.01		0.01	
42–प्रोत्साहन एवं मानदेय	7.30		7.30	2.53
62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	0.01		0.01	
89–अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	0.00		0.00	
योग	**354.83**	**0.00**	**354.83**	**188.19**
3454-02-203-01-[02] (DHQ)				
01–संवेतन	269.43		269.43	107.42
03–यात्रा व्यय	0.70		0.70	0.43
04–चिकित्सा व्यय	0.30		0.30	0.12
05–कार्यालय व्यय	0.70		0.70	0.23
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.01		0.01	
29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	25.00		25.00	
62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	0.01		0.01	
89–अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान *	0.00		0.00	
योग	**296.150**	**0.000**	**296.150**	**108.20**

लेखा शीर्षक	वर्ष 2012–13 में आबंटन			व्यय 31.12.2012 तक
	मूल आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आबंटन	
3454-02-203-01-[03] (UID)				
01–संवेतन	50.70		50.70	24.28
03–यात्रा व्यय	0.50		0.50	0.08
04–चिकित्सा व्यय	0.30		0.30	0.19
05–कार्यालय व्यय	2.00		2.00	0.65
08–वृतिक और विशिष्ट सेवाएं	0.01		0.01	
11–विज्ञापन,विक्रय,प्रचार और प्रसार व्यय	0.01		0.01	
28–विविध व्यय	0.01		0.01	
36–वाहनों का किराया	3.60		3.60	2.18
41–संविदा व्यय	2.99		2.99	0.95
62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	0.01		0.01	
89–अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	0.00		0.00	
योग	**60.130**	**0.000**	**60.130**	**28.33**
3454-02-203-01-[04] (UID Under TFC)				
28–विविध व्यय	0.01		0.01	
42–प्रोत्साहन एवं मानदेय	1896.14		1896.14	
3454-02-203-01-[05] 62 (FMS)	0.01		0.01	
3454-02-203-01-[06] 62 (Hiring of Consulatants and NAC Test)	105.00		105.00	27.08
3454-02-203-01-[07] 62 (SDC)	144.32		144.32	19.77
3454-02-203-01-[08] 62 (SecLAN)	154.00		154.00	18.26
3454-02-203-01-[09] 62 (e-Mitra)	356.51		356.51	208.09
3454-02-203-01-[10] 62 (Arogya on Line)	526.63		526.63	155.97
3454-02-203-01-[11] 62 (e-Sugam)	47.38	93.00	140.38	12.18
3454-02-203-01-[12] 62(RSWAN Horizontal)	0.01		0.01	
3454-02-203-01-[13] 62 (SSDG)	0.01		0.01	
3454-02-203-01-[14] 62 (Mobile VSAT VAN)	25.35		25.35	0.73
3454-02-203-01-[15] 62 (e -Procurement)	21.00		21.00	6.77
3454-02-203-01-[16] 62 (Development & Maintenance of Web Site)	36.05		36.05	6.59
3454-02-203-01--[17] 62 (CMIS)	21.00		21.00	
3454-02-203-01-[18] 62 (IT Enablement of Secretriate)	0.01		0.01	
3454-02-203-01-[19] 62(e-Sanchar)	2.50		2.50	
Total-A	**4047.040**	**93.000**	**4140.040**	**780.160**

लेखा शीर्षक	वर्ष 2012—13 में आबंटन			व्यय 31.12.2012 तक
	मूल आबंटन आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल	
3454-02-789-01-[01]				
29—प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	34.00		34.00	9.20
62—कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	0.01		0.01	
3454-02-789-01-[02] (UID Under TFC)	0		0.00	
28—विविध व्यय	0.01		0.01	
42—प्रोत्साहन एवं मानदेय	462.97		462.97	
3454-02-789-01-[03] (DHQ)	0		0.00	
01—संवेतन *	67.97		67.97	22.01
03—यात्रा व्यय *	0.15		0.15	0.03
04—चिकित्सा व्यय *	0.10		0.10	0
05—कार्यालय व्यय *	0.15		0.15	0.02
89—अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान *	0		0.00	
योग	**68.370**	**0.000**	**68.370**	**22.06**
3454-02-789-01-[04] (e-Sanchar)	0.01		0.01	
3454-02-789-01-[05] (IT Enablement of Secretriate)	0.01		0.01	
3454-02-789-01-[06] 62 (Hiring of Consulatants and NAC Test)	25.50		25.50	
3454-02-789-01-[07] 62 (SDC)	35.05		35.05	2.49
3454-02-789-01-[08] 62 (SecLAN)	37.40		37.40	2.63
3454-02-789-01-[09] 62 (e-Mitra)	86.02		86.02	53.8
3454-02-789-01-[10] 62 (Arogya on Line)	145.18		145.18	42.78
3454-02-789-01-[11] 62 (e-Sugam)	11.42	36.60	48.02	1.94
3454-02-789-01-[12] 62 (RSWAN Horizontal)	0.01		0.01	
3454-02-789-01-[13] 62 (SSDG)	0.01		0.01	
3454-02-789-01-[14] 62 (Mobile VSAT VAN)	6.15		6.15	
3454-02-789-01-[15] 62 (e -Procurement)	5.10		5.10	
3454-02-789-01-[16] 62 (Development & Maintenance of Web Site)	8.76		8.76	0.02
3454-02-789-01–[17] 62 (CMIS)	5.10		5.10	
Total - B	**931.080**	**36.600**	**967.680**	**134.920**
3454-02-796-02-[01]				
29—प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	24.00		24.00	4.15
62—कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	0.01		0.01	
3454-02-796-02-[02] UID Under TFC			0.00	
28—विविध व्यय	0.01		0.01	
42—प्रोत्साहन एवं मानदेय	338.86		338.86	

लेखा शीर्षक	वर्ष 2012–13 में आबंटन			व्यय 31.12.2012 तक
	मूल आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आबंटन	
3454-02-796-02-[03] DHQ			0.00	
01–संवेतन *	62.41		62.41	10.05
03–यात्रा व्यय *	0.15		0.15	0.09
04–चिकित्सा व्यय *	0.1		0.10	
05–कार्यालय व्यय *	0.15		0.15	0.04
89–अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान *	0.00		0.00	
योग	**62.810**	**0.000**	**62.810**	**10.180**
3454-02-796-02-[04] e-Sanchar	0.01		0.01	
3454-02-796-02-[05] IT Enablement of Secretriate	0.01		0.01	
3454-02-796-02-[06] 62 Hiring of Consulatants and NAC Test	19.50		19.50	
3454-02-796-02-[07] 62 SDC	26.80		26.80	2.25
3454-02-796-02-[08] 62 SecLAN	28.60		28.60	3.7
3454-02-796-02-[09] 62 e-Mitra	63.47		63.47	41.06
3454-02-796-02-[10] 62Arogya on Line	182.22		182.22	52.82
3454-02-796-02-[11] 62 e-Sugam	8.40	18.6	27.00	0.41
3454-02-796-02-[12] 62RSWAN Horizontal	0.01		0.01	
3454-02-796-02-[13] 62 SSDG	0.01		0.01	
3454-02-796-02-[14] 62 Mobile VSAT VAN	4.70		4.70	
3454-02-796-02-[15] 62 e -Procurement	3.90		3.90	
3454-02-796-02-[16] 62 Development & Maintenance of Web Site	6.69		6.69	
3454-02-796-02-[17] 62 CMIS	3.90		3.90	
Total - C	**773.910**	**18.600**	**792.510**	**114.570**
5475-00-190-01[01] 73(Inst in RKCL)	0.01		0.01	
5475-00-190-01[04] 73(Inst in RISL)	0.01		0.01	
Total - D	0.02	0.000	0.02	0.00
5475-00-789-01-[00]-62	0.00		0.00	
5475-00-789-01-[01]-62 RSWAN Vertical (State Share)	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[02]-62 Hiring of Consultancy services & NAC	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[03]-62 (IFMS)	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[04]-62 (e-Sanchar)	2.55		2.55	
5475-00-789-01-[05]-62 (IT Policy)	0.01		0.01	

लेखा शीर्षक	वर्ष 2012–13 में आबंटन			व्यय 31.12.2012 तक
	मूल आबंटन आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल	
5475-00-789-01-[06]-62(NEGP)	1050.76		1050.76	
5475-00-789-01-[07] 62 SDC	99.88		99.88	7.78
5475-00-789-01-[08] 62 SecLAN	31.45		31.45	3.10
5475-00-789-01-[09] 62 e-Mitra	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[10] 62Arogya on Line	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[11] 62 e-Sugam	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[12] 62RSWAN Horizontal	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[13] 62 SSDG	0.01		0.01	
5475-00-789-01-[14] 62 Mobile VSAT VAN	0.34		0.34	
5475-00-789-01-[15] 62 e -Procurement	1.70		1.70	
5475-00-789-01-[16] 62 Development & Maintenance of Web Site	0.01		0.01	
5475-00-789-01--[17] 62 CMIS	1.70		1.70	
5475-00-789-01--[18] 62IT Enablement of Secretriate	40.80		40.80	28.84
5475-00-789-01--[19] 62 Innovative Project	0.01		0.01	
5475-00-789-02-[00] 62 Backend	0.01		0.01	
Total-E	**1229.30**	**0.00**	**1229.30**	**39.720**
5475-00-796-01-[00] 62	0.00		0.00	
5475-00-796-01-[01]-62 RSWAN Vertical (State Share)	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[02]-62 Hiring of Consultancy services & NAC	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[03]-62 (IFMS)	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[04]-62 (e-Sanchar)	1.95		1.95	
5475-00-796-01-[05]-62 (IT Policy)	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[06]-62(NEGP)	750.40		750.40	
5475-00-796-01-[07] 62 SDC	76.35		76.35	6.18
5475-00-796-01-[08] 62 SecLAN	24.05		24.05	3.54
5475-00-796-01-[09] 62 e-Mitra	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[10] 62Arogya on Line	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[11] 62 e-Sugam	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[12] 62RSWAN Horizontal	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[13] 62 SSDG	0.01		0.01	
5475-00-796-01-[14] 62 Mobile VSAT VAN	0.26		0.26	
5475-00-796-01-[15] 62 e -Procurement	1.30		1.30	
5475-00-796-01-[16] 62 Development & Maintenance of Web Site	0.01		0.01	

लेखा शीर्षक	वर्ष 2012–13 में आबंटन			व्यय 31.12.2012 तक
	मूल आबंटन आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल	
5475-00-796-01--[17] 62 CMIS	1.30		1.30	
5475-00-796-01--[18] 62IT Enablement of Secretariate	29.40		29.40	20.00
5475-00-796-01--[19] 62 Innovative Project	0.01		0.01	
5475-00-796-02-[00] 62 Backend	0.01		0.01	
Total -F	**885.130**	**0.000**	**885.130**	**29.720**
5475-00-800-03-[00] 62	0.00		0.00	
5475-00-800-05-[00] 62 Backend	500.00		500.00	146.57
5475-00-800-08-[04] 62 e-Sanchar	10.50		10.50	
5475-00-800-08-[05]-62 (IT Policy)	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[06]-62(NEGP)	320.84		320.84	
5475-00-800-08-[07] 62 SDC	350.24		350.24	25.94
5475-00-800-08-[08] 62 SecLAN	129.50		129.50	3.11
5475-00-800-08-[09] 62 e-Mitra	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[10] 62Arogya on Line	450.16		450.16	419.49
5475-00-800-08-[11] 62 e-Sugam	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[12] 62RSWAN Horizontal	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[13] 62 SSDG	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[14] 62 Mobile VSAT VAN	1.40		1.40	
5475-00-800-08-[15] 62 e -Procurement	7.00		7.00	
5475-00-800-08-[16] 62 Development & Maintenance of Web Site	0.01		0.01	
5475-00800-08--[17] 62 CMIS	7.00		7.00	0.2
5475-00-796-01--[18] 62IT Enablement of Secretriate	165.25		165.25	60.90
5475-00-800-08-[19] 62 Innovative Project	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[20] 62 IFMS	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[21] 62 RSWAN Vertical (State Share)	0.01		0.01	
5475-00-800-08-[22] 62 Hiring of Consultancy services & NAC	0.01		0.01	
5475-00-800-10-[00] 62 IT City	0.01		0.01	
5475-00-800-11-[01] 62 RGSK	0.01		0.01	
Total -G	**1942.01**	**0.00**	**1942.01**	**656.210**
4059-80-0151-40[00] 17 IT Building	30.00		30.00	30.00
Total -H	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**30.000**
Total (A to H)	**9838.49**	**148.20**	**9986.69**	**1785.300**

5.

बजट भाषण वर्ष 2012-13 की नवीन योजनाओ का विवरण

S. No.	Para No Part No Sub Para No	Main Description	Action to be taken
1	156 0	नागरिकों को विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने में कॉल सेन्टर एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुआ है। वर्तमान में अनेक राजकीय विभागों एवं राजकीय उपक्रमों ने अपने कॉल सेंटर स्थापित कर रखे हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि आगामी वर्ष में एक एकीकृत कॉल सेंटर की स्थापना की जायेगी जिसके द्वारा विभिन्न विभागों की सेवायें एक ही टेलिफोन नंबर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।	• यह परियोजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी है। भारत सरकार से वित्तीय सहमति मे देरी को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग द्वारा इस हेतु राज्य आयोजना मद से बजट उपलब्ध कराने की सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 16.07.2012 को प्रदान की गयी है। अब इस परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिये मना कर दिया गया है। अतः परियोजना हेतु राज्य सरकार से पूर्ण वित्तीय सहायता हेतु सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर मैसर्स पी.डब्ल्यू.सी. को सलाहकार नियुक्त किया गया है। सेवा प्रदाता के चयन के लिये निविदा प्रक्रियाधीन है।
2	157 0 0	राज्य में आई.टी. की सहायता से विभिन्न विभागों की अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। साथ ही आई.टी विभाग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारियों के 750 पद सृजित किये जायेंगे।	• वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 17.07.2012 को प्रोग्रामर के 248 पद (ब्लॉक मुख्यालय हेतु), सूचना सहायक के 287 पद (तहसील मुख्यालय हेतु) एवं लेखाकार के 33 पद (जिला मुख्यालय हेतु) कुल 568 पद सृजित करने के आदेश जारी कर दिये गये है। मुख्यालय हेतु इसी बजट घोषणा के अंतर्गत शेष पदों हेतु वित्त विभाग में प्रस्ताव BFC में पुनः भेजे गये हैं।

S. No.	Para No Part No Sub Para No	Main Description	Action to be taken
			• प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक के पदो के लिए नियम में संशोधन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया से अनुमोदन प्राप्त कर कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
3	158 0 0	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय में प्रायोगिक तौर (experimental basis) पर बायोमैट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यह व्यवस्था चरणबद्ध रूप से सचिवालय के साथ-साथ जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य राजकीय कार्यालयों में लागू की जायेगी।	• दिनांक 16.04.2012 से बायोमेट्रिक उपस्थिति तंत्र सचिवालय एवं समस्त जिला कलैक्टर कार्यालयों में क्रियान्वित कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन : 0141-2224855 • फैक्स : 0141-2222011
http://www.rajasthan.gov.in,
http://www.doitc.rajasthan.gov.in